<u>न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 49/2022 राजस्व वाद

1. भैरू पुत्र स्व0 श्री लच्छु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्रीमती लाडू पुत्री स्व0 श्री लच्छु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्रीमती नारायणी पुत्री स्व0 श्री लच्छु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. श्रीमती सम्पति पुत्री स्व0 श्री लच्छु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. श्रीमती रूकमणी पत्नी स्व0 श्री लच्छु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीगण

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादी

<u>वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादीगण
2. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी

दिनांक– 07/11/2022

<u>:: निर्णय ::</u>

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्व वाद बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्रा[illegible]या पटवार हल्का मोटा का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा [illegible] तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

(राज0) की सरहद मे साबिक आराजी नम्बर 180 एक सौ अस्सी मे से 04 चार बीघा भूमि वादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व वादीया संख्या 05 के पति लच्छु पुत्र श्री जेता गुर्जर भूमिहीन काश्तकार होने व कृषक होने व आवंटन की पात्रता रखने के कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गयी व वादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व वादीया संख्या 05 के पति लच्छु पुत्र श्री जेता गुर्जर को कब्जा सिपुर्द किया गया। जिसके बटा नम्बर 180/6 एक सौ अस्सी/छह रकबा 04 चार बीघा कायम किये गये। जो जमाबंदी संवत 2022 से 2025 मे वादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व वादीया संख्या 05 के पति लच्छु पुत्र श्री जेता गुर्जर के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे दर्ज है। वादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व वादीया संख्या 05 के पति लच्छु पुत्र श्री जेता गुर्जर वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आवंटितशुदा भूमि पर आंवटन कर कब्जा सिपुर्द करने की दिनांक से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे व वादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व वादीया संख्या 05 के पति लच्छु पुत्र श्री जेता गुर्जर के देहान्त उपरान्त वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। आज भी वादीगण का कब्जा एंव उपयोग उपभोग है। उक्त भूमि ही वादीगण की आजीविका का एकमात्र जरिया है तथा वादीगण उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करते चले आ रही है। वादीगण वर्तमान मे अपनी आवंटितशुदा भूमि पर काबिज है। दिनांक 02 दो मार्च 2022 दो हजार 2022 दो हजार बाईस को कुछ अजनबी व्यक्ति पटवारी को लेकर मौके पर आये व वादीगण को बेदखल करने लगे, इस पर वादीगण ने उन्हे कहा कि उक्त भूमि वादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व वादीया संख्या 05 के पति लच्छु पुत्र श्री जेता गुर्जर को आवंटितशुदा है, जिस पर वादीगण काबिज है, इस पर उन्होने कहा कि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे बिलानाम सरकार हो चारागाह भूमि दर्ज है। इस कारण से तुम्हे बेदखल करके रहेगे। इस पर वादीगण ने जानकारी की तो पता चला कि वादीगण को पता चला कि वादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व वादीया संख्या 05 के पति लच्छु पुत्र श्री जेता गुर्जर को आंवटितशुदा आराजी नम्बर 180/6 रकबा 04 बीघा [illegible] संख्या 01 लगायत 04 के पिता व वादीया संख्या 05 के पति लच्छु पुत्र श्री जेता [illegible] को आवंटित होने व पटवारी द्वारा वादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व वादीया संख्या 05 के पति लच्छु पुत्र श्री जेता गुर्जर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:33:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

को कब्जा सिपुर्द करने व गैर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारीयो व अधिकारीयो की गफलत व लापरवाही के कारण सेटलमेन्ट के दौरान वादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व वादीया संख्या 05 के पति लच्छु पुत्र श्री जेता गुर्जर के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे उक्त भूमि को बिलानाम दर्ज कर नवीन आराजी नम्बर 251, 252, 253, 254, 255, 256 , 257, 258, 259, 260 मे शामिल करते हुए कायम कर बिलानाम दर्ज कर दी व कुछ नम्बर को चारागाह हेतु दर्ज कर दी। वादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व वादीया संख्या 05 के पति लच्छु पुत्र श्री जेता गुर्जर की आराजी के नवीन नम्बर कायम नही किये जबकि उक्त आराजीयात मे 04 बीघा भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने की अधिकारीणी है। वादीगण व वादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता व वादीया संख्या 05 के पति लच्छु पुत्र श्री जेता गुर्जर वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी पर आवंटन की दिनांक से वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा वादीगण उक्त आवंटितशुदा आराजी नम्बर 180/6 रकबा 04 बीघा भूमि के नवीन आराजी नम्बर 251, 252, 253, 254, 255, 256 , 257, 258, 259, 260 मे से 04 बीघा भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है तथा उक्त भूमि वादीया के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है व साथ ही वादीगण की उक्त भूमि को कब्जे अनुसार एवं आवंटन कब्जे नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम की जाना आवश्यक है। अन्त मे प्रार्थना दर्ज करते हुए खातेदार काश्तकार घौषित करने व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया। मामले मे निम्न विवाद्यक कायम किये गये–

1. **कि आया वादीगण के पिता व पति लच्छु पुत्र श्री जेता गुर्जर को आवंटित ग्राम तगडिया पटवार हल्का मोटा का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा पूर्व तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज.) की आवंटित साबिक आराजी नम्बर 180 मे से 04 बीघा जिसका नवीन नम्बर 180/6 रकबा 04 बीघा** गलत रूप से बिलानाम/चारागाह आराजी मे दर्ज की है, जिसे वादीगण राजस्व रेकार्ड मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

अपनी भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है ?

—–बजिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादी के विरूद्व वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ?

—–बजिम्मे वादी

3. आया प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे मे उठाये गये एतराजो के आधार पर वादी का वाद चलने योग्य नही है ?

—– बजिम्मे प्रतिवादी

4. अनुतोष–

वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज पेश किये गये, जो प्रदर्शित किये गये। वादीगण द्वारा प्रकरण मे वादीगण के पति व पिता लच्छु पुत्र श्री जेता गुर्जर को आंवटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम तगडिया पटवार हल्का मोटा का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा पूर्व तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0) की आवंटित साबिक आराजी नम्बर 180 मे से 04 बीघा भूमि आंवटन होने बाबत आंवटन पत्रावली पेश की गई (प्रदर्श 01) आवेदन पत्र (प्रदर्श 02) रिपोर्ट (प्रदर्श 03) आवंटन आदेश (प्रदर्श 04) सुपुर्दगीनामा, व साथ ही मिलान खसरा (प्रदर्श 05) पेश किया गया व साथ ही वादीगण के पिता व पति लच्छु गुर्जर के नाम पर आंवटित भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज होने बाबत दस्तावेज जमाबन्दी सवत 2022–25 पेश किये गई व साबिक नम्बर के नवीन आराजी नम्बर आराजी नम्बर 180/6 की जमाबंदी की नकल (प्रदर्श 06) पेश की गयी व साथ ही पत्रावली मे मोका रिपोर्ट (प्रदर्श 07), पेश हुई, जिसके अनुसार साबिक आराजी नम्बर 180 के नवीन आराजी नम्बर 251, 252,253, 254, 255, 256,257, 258, 259, 260 मे शामिल करते हुए बिलानाम दर्ज होने व वादीगण का आराजी नम्बर 839/258 रकबा 1.2265 हैक्टयर पर कब्जा होना बताया गया, जो मौका पर्चा रिपोर्ट (प्रदर्श 08) पेश की गयी। अतः उक्त नवीन आराजी नम्बर 839/258 मे वादीगण के पिता व पति लच्छु पुत्र श्री जेता गुर्जर को आंवटित रकबा 04 बीघा शामिल होना प्रथम दृष्टया साबित है। वादीगण द्वारा मामले मे वादी व स्वतंत्र गवाहान के शपथपत्र पेश किये गये, जिनके आधार पर भी उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा पाया गया है। उपरोक्त भूमि वादीगण के पति /पिता को आंवटित है। उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर विवाद्यक संख्या 01 लगायत 05 वादीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहा है व विवाद्यक संख्या 01 लगायत 05 वादीया के पक्ष मे सिद्व पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

कि विवादित आराजी नम्बर 839/258 रकबा 1.2265 हैक्टयर भूमि पर वादीया का कब्जा वादीया व गवाहान के बयानो से साबित होता है व वादीगण को मौके से बेदखल किया जाने पर वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना लाजमी होने से उक्त विवाद्यक संख्या 02 वादीगण संख्या 01 लगायत 05 के पक्ष मे सिद्व पाया जाता है।

विवाद्यक संख्या 01 एवं 02 वादीगण संख्या 01 लगायत 05 के पक्ष मे सिद्व होने से विवाद्वक संख्या 03 एंव 04 भी वादीगण संख्या 01 लगायत 05 के पक्ष मे एवं प्रतिवादी के विरूद्व सिद्व माने जाते है।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया ।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादीगण के पति व पिता लच्छु पुत्र श्री जेता गुर्जर को भूमि आंवटन होना व गैर खातेदारी से नामान्तरणकरण दर्ज होना व कब्जा वादीगण का होना प्रमाणित है व साथ ही वादीगण के पिता/ पति को साबिक आराजी से आंवटन हुआ है, वादीगण को आराजी नम्बर 839/258 रकबा 1.2265 हैक्टयर मे से 04 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगा का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर वादीगण को ग्राम तगडिया पटवार हल्का मोटा का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 839/258 रकबा 1.2265 हैक्टयर मे से 04 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम दर्ज करायी जावे व मौका कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम कराया जावें व साथ ही प्रतिवादी द्वारा वादीगण के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की जाती है। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

निर्णय आज दिनाक 07.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
उपखंड अधिकारी पदेन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)